



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012021-224822
CG-DL-E-30012021-224822

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/ माघ 8, 1942

No. 397]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2021

का.आ. 434(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 के निर्माण, (चौड़ीकरण/फोर-लेनिंग, आदि) उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 कि.मी. 135.650 to कि.मी. 136.450 on NH 63, कि.मी. 249.000 to कि.मी. 250.050 on NH-4, और कि.मी. 192.800 to कि.मी. 193.350 on NH-218 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी और सक्षम प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग धारवाड	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH63 के कि.मी. 135.65 से	कर्नाटक	धारवाड	हुब्बली	1 हुब्बल्ली

	580001	136.45 तक			
--	--------	-----------	--	--	--

[फा. सं. RW/BNG/NH-63,4&218/105/2019/495]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2021

S.O. 434(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening/four-laning, etc.) maintenance, management and operation of the National Highway No. 63,04 and 218 in the State of KARNATAKA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway from Km.135.650 to Km.136.450 on NH 63, Km. 249.000 to 250.050 on NH-4, and Km. 192.800 to 193.350 on NH-218 in the State of KARNATAKA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition officer and Competent Authority National Highways Dharwad 580001	135.65KM To 136.45KM	KARNATAKA	DHARWAD	Hubballi	1 Hubblili

[F. No. RW/BNG/NH-63,4&218/105/2019/495]

RAJESH GUPTA, Director